



प्रेषक,

हरीश कुमार,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज प्रयागराज परिसर में निर्माणाधीन स्टूडेंट सेक्शन हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य हेतु अंतिम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1/804735/2026/एम०ई०/बजट/2026-27, दिनांक 28.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज प्रयागराज परिसर में निर्माणाधीन स्टूडेंट सेक्शन हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति रिपोर्ट, अद्यतन फोटोग्राफस तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-167/2025/1/1187328/2025/ 71-1002(002)/16/2025, दिनांक 26.12.2025 द्वारा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज प्रयागराज परिसर में निर्माणाधीन स्टूडेंट सेक्शन हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रु० 217.92 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु० 110.23 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-112/2026/1/1459100/2026/ 71-1002(002)/16/2025, दिनांक 14.09.2026 द्वारा उक्त परियोजना की टेण्डर लागत के अनुसार रु० 216.31 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज प्रयागराज परिसर में निर्माणाधीन स्टूडेंट सेक्शन हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रु० 216.31 लाख (टेण्डर कास्ट के अनुसार) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-40- राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से रु० 60.21 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-789-11- राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि में से रु०

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

45.87 लाख, इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अंतिम किश्त के रूप में ₹0 106.08 लाख (₹0 एक करोड़ छः लाख आठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन-सुनिश्चित किया जायेगा।
 2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
 3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
 4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
 5. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-167/2025/1/1187328/2025/71-1002(002)/16/2025, दिनांक 26.12.2025 एवं शासनादेश संख्या-112/2026/1/1459100/2026/ 71-1002(002)/16/2025, दिनांक 14.09.2026 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 60,21,000 (रुपये साठ लाख इक्कीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054000** मेडिकल कालेज, प्रयागराज **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 45,87,000 (रुपये पैंतालीस लाख सत्तासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037891100** राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

हरीश कुमार

उप सचिव।

संख्या/दिनांक, तैदव ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरीश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।